फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

रुकमा देवी वनाम इन्द्राज

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 7/4 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
02.08.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.09.2022 पेश हो। [signature]	
29.9.2022	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा Adv. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. सम्मन आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से पेश हो। पत्रावली वास्ते जवाब / तलबी शेष प्रतिवादीगण दिनांक 29/11/22 को पेश हो [signature]	
29.11.22	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा। शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि. सम्मन आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से पेश करे। पत्रावली वास्ते जवाब / तलबी शेष प्रतिवादीगण दिनांक 22/12/2022 को पेश हो। [signature]	
22.12.22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान एस.डी.ओ. साहब अवकाश पर होने से स्थगित है। पत्रावली दि. 23/01/23 को पेश हो। [signature]	
23.1.23	खामलान स्वयं उपस्थित। सामलान की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। सामलान ने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र के [illegible] भूमि पर राजीनामा हो चुका है। जिस [illegible] सामलान उक्त आगामी वाद में [illegible] नहीं चाहती है। [illegible] फरमाते। हमने वाद का अवलोकन किया न्याय-हित में प्रार्थना-पत्र सामलान स्वीकार किया जाता है। अत: सामलान/वादीगण व प्रतिवादीगण का राजीनामा होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर में कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:19:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner